राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2876 / 2024

सुनीता मीणा

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अति. मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 17.09.2024
आदेश की दिनांक : 07.10.2024

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री महिमा उपाध्याय, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. इस अपील में अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को दिये गये अभ्यावेदन के आधार पर अपीलार्थी का स्थानान्तरण जयपुर जिले में किये जाने के निर्देश प्रत्यर्थी विभाग को दिये जाए। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी का पूर्व में दिनांक 08.09.2021 के द्वारा स्थानान्तरण पदोन्नति पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सुरोथी, तहसील बाडी, जिला धौलपुर में किया गया था, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने धौलपुर में कार्य ग्रहण किया। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें निवेदन किया कि अपीलार्थी के पति आयकर विभाग में जयपुर में कार्यरत हैं। ऐसे में अपीलार्थी का स्थानान्तरण भी जयपुर जिले में किया जाए। अपीलार्थी ने एक अपील संख्या 6072 / 2021 अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की, जिसमें अधिकरण ने आदेश दिनांक 06.12.2021 पारित करते हुए अपीलार्थी को एक अभ्यावेदन

प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिये एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये कि अपीलार्थी का अभ्यावेदन निस्तारित करें। इसके पश्चात अपीलार्थी का स्थानान्तरण आदेश दिनांक 20.11.2022 के द्वारा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, Rajnota जयपुर किया गया। इसके पश्चात अपीलार्थी ने दिनांक 24.08.2023 को एक अभ्यावेदन प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसमें अपीलार्थी ने निवेदन किया कि उनका वर्तमान पदस्थापन स्थान निवास स्थान से दूर है एवं बच्चे कॉलेज में अध्ययनरत है, जिनकी देखभाल के लिये परिवार का कोई सदस्य नहीं है। अपीलार्थी की अधिकांश सेवा ग्रामीण क्षेत्र में रही है। अतः अपीलार्थी की पारिवारिक परिस्थितियों को देखते हुए अपीलार्थी का स्थानान्तरण उसके इच्छित स्थाना रा.बा.उ.मा.वि., ज्योति नगर, करतारपुरा, जयपुर में किया जाए। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है।

3. उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलार्थी ने निम्न प्रकार से प्रार्थना की है :–

> "It is, therefore, prayed that in the above mentioned facts and circumstances the appeal preferred by the appellant may kindly be allowed. Respondents may be directed to consider the case of appellant for posting in Jaipur district as per her representation. They may further be directed to post the appellant at the place prayed by her in her representation or nearby place."

4. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये तर्कों पर विचार किया।

5. हम पाते हैं कि अपीलार्थी पूर्व में धौलपुर में कार्यरत थी और अपीलार्थी द्वारा जयपुर जिले में अपना स्थानान्तरण किये जाने की मांग करते हुए एक अपील 6072/2021 पूर्व में अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की थी, जिसमें अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये थे एवं प्रत्यर्थी विभाग को अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर निर्णय पारित करने के निर्देश दिये थे। इसके पश्चात अपीलार्थी का स्थानान्तरण जयपुर जिले में आदेश दिनांक 20.12.2022 के द्वारा किया गया। वर्तमान में अपीलार्थी जयपुर जिले में ही कार्यरत है। वर्तमान अपील में अपीलार्थी द्वारा जयपुर जिले में कार्यरत होते हुए भी जयपुर में ही अन्य स्थान पर अपने स्थानान्तरण किये जाने की मांग की जा रही है। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह अपने किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर प्राप्त करें। नियोक्ता द्वारा लिये गये

निर्णय में हम तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकते, जब तक की वह निर्णय विधि विरूद्ध या दुर्भावनापूर्वक पारित किया गया हो।

6. उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अपीलार्थिया के पदस्थापन/स्थानान्तरण पर हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते हैं। अतः अपील खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)